

राजस्थान सरकार  
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
महात्मा गांधी नरेगा (अनुभाग-3) शासन सचिवालय, जयपुर  
(Phone & Fax: 0141-2227287, E-mail: pdre\_rdd@yahoo.com)



क्रमांक: एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/गाईडलाईन/ 2019

जयपुर दिनांक:

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस  
एवं जिला कलक्टर, समस्त।


20 APR 2020

**विषय – महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना भिजवाने बाबत।**

महोदय,


उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कार्यों के क्रियान्वयन के सम्बन्ध में भारत सरकार द्वारा दिनांक 17.04.2020 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में अप्रवासी मजदूरों (बाहर से आये श्रमिक) को कार्य पर नियोजित किये जाने से पूर्व 14 दिन तक क्वारनटाईन किया जाने, सोशियल डिस्टेंसिंग एवं हैण्डमेड मास्क (गमछा/ रुमाल/ मास्क आदि) लगाये जाकर ही कार्य कराने के निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों की पालना में भारत सरकार द्वारा चाही गई सूचना निम्न प्रपत्र में प्रत्येक माह की 1 एवं 15 तारीख को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें –

क्र.स.	विवरण	हाँ/ना	यदि हाँ, तो संख्या
1	अप्रवासी मजदूरों (बाहर से आये श्रमिक) को कार्य पर नियोजित किये जाने से पूर्व 14 दिन तक क्वारनटाईन किया जाना।		
2	कार्यों के वर्तमान जीओ टैगिंग के फोटोग्राफ में कार्य पर नियोजित श्रमिकों के हैण्डमेड मास्क (गमछा/ रुमाल/ मास्क आदि) लगाये हुए फोटो अपलोड किया जाना।		
3	कार्यों के क्रियान्वयन के समय कोविड-19 महामारी के सम्बन्ध में सोशियल डिस्टेंसिंग हेतु जारी केन्द्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देशों का पालन किया जाना।		

  
(पी.सी. किशन)  
आयुक्त, ईजीएस

**प्रतिलिपि – सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।**

1. अति० जिला कार्यक्रम समन्वयक (ईजीएस) एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद समस्त राजस्थान।
2. अधिशाषी अभियन्ता, ईजीएस समस्त जिला परिषद राजस्थान।
3. सहायक निदेशक, सांख्यिकी ईजीएस मुख्यालय को उक्त सूचना संकलित कर नियमित रूप से प्रस्तुत करने बाबत।
3. श्री शशीकान्त मुन्जाल, (एसीपी) को पत्र को जरिये ईमेल भिजवाने एवं विभागीय वेबसाईट पर अपलोड कराने हेतु।
4. रक्षित पत्रावली

  
अधीक्षण अभियन्ता, ईजीएस